



क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  
दिल्ली/ कोलकाता/ चेन्नई/ मुंबई/ गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक  
आरसीडीयू/ एफआईयू  
भा.वि.प्रा, नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/ चेन्नई हवाईअड्डा

निदेशक  
भारतीय विमानन अकादमी  
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य  
सीएटीसी  
इलाहाबाद

महाप्रबंधक  
सीआरएसडी/ ई व एम वर्कशॉप  
भा.वि.प्रा, नई दिल्ली

### निगमित मानव संसाधन परिपत्र संख्या 22/2013

**विषय :** सेवानिवृत्त कार्मिकों के संबंध में आंतरिक चिकित्सा उपचार हेतु अग्रिम भुगतान की स्लैब प्रणाली ।

परिपत्र संख्या ए 60011/55/2006 के पैरा 9.1 दिनांक: 16 जून 2008 के संदर्भ में यह निर्धारित किया गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को आंतरिक चिकित्सा प्राप्त करने के लिए अनुमानित व्यय का 25% (प्रतिपूर्ति योग्य) अग्रिम रूप में भुगतान करना होगा।

2. इस संबंध में आंतरिक उपचार का अनुमानित व्यय लाखों में होने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा अग्रिम में ऐसे व्यय के 25% का भुगतान करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक उपचार की लागत के अनुसार अग्रिम भुगतान हेतु स्लैब प्रणाली तैयार करने का निर्णय लिया गया है। नए स्लैब निम्नानुसार होंगे :

1	1 लाख तक की चिकित्सा हेतु	₹ 5,000/-
2	1 लाख से 5 लाख तक की चिकित्सा हेतु	₹ 10,000/-
3	5 लाख से 10 लाख तक की चिकित्सा हेतु	₹ 15,000/-
4	10 लाख से 15 लाख तक की चिकित्सा हेतु	₹ 20,000/-
5	15 लाख से 20 लाख तक की चिकित्सा हेतु	₹ 25,000/-
6	20 लाख से अधिक की चिकित्सा हेतु	₹ 30,000/-

3. उपर्युक्त स्लैब इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

4. उक्त के अतिरिक्त बाह्य रोगी विभाग/ चिकित्सा भत्ते के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि तिमाही आधार पर चिकित्सा भत्ते के भुगतान हेतु स्कैन किए गए हस्ताक्षरित फॉर्म भी स्वीकृत किए जाएंगे ।

--हस्ता ०--

(के.के.झा)

सदस्य (मानव संसाधन)

**प्रतिलिपि :**

अध्यक्ष/ सदस्य (योजना)/ सदस्य (एएनएस)/ सदस्य (प्रचालन)/ सदस्य (वित्त)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सदस्य (मा.सं) का कार्यालय

सभी विभागाध्यक्ष/ मानव संसाधन के सभी महाप्रबंधक/ प्रशासन निदेशालय

महासचिव (एएईयू)

सभापति/ महासचिव - एएओए(आई)/ आईएएओए/एसेओए(आई)/ एटीसी गिल्ड/ भाविप्रा अभियांत्रिकी गिल्ड/भाविप्रा एससी/एसटी कल्याण संघ

महाप्रबंधक (आईटी) – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।